संलग्नक-06

मेसर्स राधा माधव इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रामबोड, जिला–मुंगेली (छ0ग0) में प्रस्तावित स्पंज आयरन (1x100 टी0पी0डी0) क्षमता–30,000 मि.टन/वर्ष के लिए भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17.08.2012 को 12.00 बजे, स्थान–तहसील कार्यालय पथरिया, जिला–मुंगेली के प्रांगण, में आयोजित की गई। संपन्न लोक सुनवाई की कार्यवाही विवरण निम्नानुसार है :–

मेसर्स राधा माधव इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रामबोड, जिला–मुंगेली (छ0ग0) में प्रस्तावित स्पंज आयरन (1x100 टी0पी0डी0) क्षमता–30000 मि.टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई दिनांक 17.08.2012 को 12.00 बजे, स्थान–तहसील कार्यालय पथरिया, जिला–मुंगेली के प्रांगण, में अपर कलेक्टर, जिला–मुंगेली की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की उपस्थिति में लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई। लोक सुनवाई हेतु स्थानीय समाचार पत्रों नवभारत, बिलासपुर एवं हरिभूमि, बिलासपुर में दिनांक 13.07.2012 के अंक में तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली मे दिनांक 13.07.2012 के अंक में लोक सुनवाई की सूचना प्रकाशित कराई गई। प्रस्तावित स्पंज आयरन (1x100 टी0पी0डी0) क्षमता–30000 मि.टन/वर्ष की लोक सुनवाई के संबंध में लोक सुनवाई से पूर्व कुल 02 सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणी क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर में प्राप्त हुई। लोक सुनवाई स्थल पथरिया में आसपास के ग्रामवासी तथा बिलासपुर के नागरिको एवं समाजसेवी संस्थाओं ने भाग लिया।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा ईआईए नोटीफिकशन दिनांक 14.09.06 के प्रावधानों की जानकारी दी गई। तत्पश्चात् अधिकृत उद्योग प्रतिनिधि को परियोजना के प्रस्तुतिकरण हेतु आमंत्रित किया गया। उद्योग की ओर से मेसर्स ऐनाकॉन कंसल्टेंसी प्रा0 लि0, नागपुर की अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रभाव आंकलन एवं तकनीकी जानकारी जन सुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय को दी गई।

तत्पश्चात् अपर कलेक्टर, जिला–मुंगेली द्वारा प्रस्तावित उद्योग के संबंध में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उपस्थित जन समुदाय से सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। जन सुनवाई में आसपास के ग्रामीण जन मुंगेली के नागरिको एवं समाजसेवी संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित उद्योग के पर्यावरणीय जन सुनवाई में एक–एक कर अपना सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां रखी। उपस्थित जन सामान्य द्वारा अपने सुझाव, विचार, टीका टिपण्णी एवं आपत्तियां दर्ज कराई गई, जिनका विवरण निम्नानुसार है।

1. श्री सुनील यादव, ग्राम–पथरिया :–

मेरे ख्याल से यहां जो भी उपस्थित है। क्योकि इन्ही लोगों को समझ मे नहीं आ रही है। कि आखिर इण्डस्ट्रीज किस दिशा वहां जो राखड निकलेगी व कहां निकलेगी। इसकी क्या व्यवस्था होगी। इण्डस्ट्रीज में स्थानीय लोगो को रोजगार मिले बाहरी लोगों को नहीं। इण्डस्ट्रीज से जो राखड निकलेगी उसका फैलाव आसपास के कृषि भूमि में नहीं होना चाहिए। क्योकि इस राखड से हमारे खेतों मे लगे फसल नष्ट हो जायेगा। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

2. श्री जगदीश कुमार, ग्राम–भखरीडीह:–

जो रामबोड में राधा माधव इण्ड स्थापित होने वाली है। इसे आपने भाई लोग को बताना चाहता हूं जो धुआं डस्ट होगा। उसका सब उपाय हो जायेगा। ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। गांव के पास ही रोजगार मिलेगा। गांव का विकास होगा। हम लोगों का भी विकास होगा। रामबोड में इण्डस्ट्रीज स्थापित हो और जल्द से जल्द चालू हों।

3. श्री झाडूराम महेशर, ग्राम–भखरीडीह :–

बडी खुशी की बात है कि प्लांट खुलने से पब्लिक को रोजगार मिलेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

4. श्री मनोहर लाल, ग्राम–भखरीडीह :–

फैक्ट्री खुलने से हम गरीब आदमी का फायदा है । रोजीरोटी मिल जाती है। जो बाहर जाते थे उनको रोजगार गांव मे ही मिल जायेगा। फैक्ट्री खुलना चाहिए।

5. श्री मूलचंद गेन्दले, ग्राम–ककेडी :–

गांव के किनारे जो भी उद्योग खुल रहा है। वो हम गरीबों के लिए उचित है। क्योकि हमारे गांव के बच्चो का भविष्य बनेगा। आने वाले पीढी के लिए रोजी रोजगार मिलेगा। जो हम लोग दूर दराज तक के रोजी रोजगार के भटकते है। उसका सहयोग मिलेगा, इसलिए मै यह चाहता हूँ गांव में जो कंपनी खुल रहा है उचित है। खुलना चाहिए।

6. श्री मनोज कुमार श्रीवास, ग्राम–गुरू :–

राधा माधव इण्डस्ट्रीज हाईकोट के कारण बंद हो गया था, अपने को रोजी रोटी मिलेगा चालू होगा तो जल्द से जल्द बेरोजगार आदमी की बेरोजगारी दूर हो जायेगा। फैक्ट्री जल्द से जल्द चालू हो। कंपनी से कोई पालूशन नहीं होता है।

7. श्री पंचराम यादव, ग्राम–अण्डा :–

राधा माधव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, रामबोड में खुला है। मै आशा विश्वास के साथ भाई लोगो को बताना चाहता हूँ कि भाई लोग जैसे बिलासपुर जा रहे है। काम करने के लिए किनारे मे फैक्ट्री खुल गया है। ज्यादा से ज्यादा भाई लोग को रोजगार मिल जायेगा। और उनके परिवार का सही पालन पोषण होगा। उन्ही पैसे से बच्चो का पढाई लिखाई करके बच्चो का भविष्य उज्वल बनायेगा।

8. श्री संतोष पात्रे, ग्राम–उमरिया :–
जो हमारे नजदीक में रामबोड में फैक्ट्री खुल रहा है जो खुशी की बात है। और हम दूरदराज जाते थे काम करने के लिए वो और अच्छा है सभी नागरिक को रोजगार मिलेगा। ठीक है जल्दी खुलना चाहिए प्लांट।

9. श्री भगवानदास, ग्राम–उमरिया :–
हम गरीब आदमी को फैक्ट्री खुलेगा तो जल्द से जल्द काम मिलेगा। इसलिए फैक्ट्री जल्द से जल्द स्टॉट हो। क्योकि हम बाहर जाते है कमाने खाने के लिए इसलिए नजदीक में काम मिल जायेगा। तो नजदीक मे ही करेंगे।

10. श्री फत्तेसिंह राजपूत, ग्राम–रामबोड :–
रामबोड में राधा माधव इण्डस्ट्रीज खुल रहा है इसके लिए मै सम्मानित करता हूँ। गांव में रोजगार मिलेगा। और जो हमारे आर्थिक स्थिति है उसमे सुधार आयेगा।

11. श्री अभिषेक पाण्डेय, ग्राम–रामबोड :–
जैसा कि क्या है मेरे साथी भाई लोगों ने कहां है कि इससे किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं है हमारा पलायन रूकेगा, और बेरोजगारी हटेगी।

12. शेषनारायण दुबे, ग्राम–रामबोड :–
प्लांट खुलना ही चाहिए। सारा नालेज इम्पलीमेन्टेशन करने को मिलता है। आखिर देश और समाज की मांग की पूर्ति करने को दे रहा हूँ तभी पूर्ति कर सकते है। और आसपास के लोगो को रोजगार भी मिलता है। इसलिए प्लांट खुलने के लिए मै धन्यवाद करता हूँ।

13. श्री अर्जुन सिंह, ग्राम–रामबोड :–
यह फैक्ट्री अभी बंद है। इसलिए बहुत लोग बेरोजगार है। यह फैक्ट्री जैसे चालू होगी। जितने भी वर्कर है जो काम करते थे वे आ सकते है। गांव वाले है और आसपास के फैक्ट्री वाले भी आ सकते है। पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण संरक्षण की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। फैक्ट्री से किसी का नुकसान नहीं होगा। अगले साल यदि फैक्ट्री चालू हो जाती है तो पर्याप्त रोजगार मिल सकगो।

14. श्री गौरी शंकर कर्माकर, ग्राम–धमनी :–
प्लांट खुलना चाहिए।

15. श्री राजकुमार कौशिक, ग्राम–अण्डा :–
हमारे रामबोड़ में राधा मांधव स्पंज आयरन प्लांट खुलना चाहिए। इससे हमारे गांव और आसपास के क्षेत्र के जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे। गरीबी दूर होगी।

16. श्री पंचराम भास्कर, ग्राम–हथनीखुर्द :–
फैक्ट्री खुलना चाहिए । इससे हमको फायदा होगा तथा कुछ काम मिल जायेंगे।

17. श्री रामशरण कौशिक, ग्राम–अण्डा :–

हमारे ग्राम पंचायत अण्डा के पास लगा हुआ ग्राम पंचायत रामबोड है। और वहां पर राधा माधव स्पंज आयरन की इंडस्ट्रीज लगने जा रही है। वहां से हमारे गांव की लगभग 2 कि.मी. की दायरे में आती है। तो हमारे गांव के नगरिकों का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों का विचार है इससे निकलने वाला धुएं से आसपास के लोग प्रभावित होंगे। और कृषि भूमि भी प्रभावित होगी। इसलिए पर्यावरण से संबंधित एन.ओ.सी नही दिया जाये। इस फैक्ट्री को चालू न किया जाये।

18. श्री गंगा प्रसाद कौशिक, रामबोड़ :–

प्लांट के समीप होने के कारण फसल को बहुत नुकसान होगा। साथ–साथ मेरे गांव के बच्चे हैं बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा अंतर आयेगा क्यो कि बहुत ज्यादा धुआं निकलता है। फैक्ट्री छतौना में चल रहा था। छतौना वाले किसान विरोध किये हैं। यहां तक की शासन उसको धान खरीदने तक को मुकर रहे थे। फसल में बहुत नुकसान हो रहा था। हम धान की खेती करते है लेकिन धान को पैदा करने वाले खेत है हम कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। तो ये सब को देखते हुए हमारा निवेदन है कि हमारी सुनवाई करे और अनुमति न दें।

19. श्री मालिक राम वर्मा, ग्राम–रामबोड़ :–

निवेदन है कि राधा माधव के पीछे मेरी 2 एकड़ जमीन है, जिसमें मै विगत 3 वर्षो से खेती करने में असमर्थ हूँ। आने–जाने का रास्ता पूरा बंद कर दिया गया है। बाउण्ड्री बना दिया गया है। कुछ बोले तो कोई सुनवाई नहीं किया। बाउण्ड्री बना दी गई है, जिससे जाने आने मे समस्या होती है। पहले यहां नदी तक जाने का रास्ता बनाया गया था।

20 श्री राज कुमार कौशिक, ग्राम–रामबोड़ :–

राधा माधव फैक्ट्री को रामबोड़ में नहीं लगाने का आदेश देवें और उससे वायु प्रदूषण होने के कारण नागरिको को जीवन यापन करना मुश्किल होगा। यदि फैक्ट्री लगा रहे हैं तो वहां से गांव के नागरिकों को भी हटा दो।

21. श्री समारू गवई, रामबोड़ :–

हमारे गांव मे जो राधा माधव का प्लांट बन रहा है। यदि राधा माधव कंपनी का प्लांट चालू करना है तो वहां के नागरिक को दूसरे जगह बसा देवें।

22. श्री पुनित राम कुर्मी, ग्राम–रामबोड :–

मै किसान हूँ तथा खेती बाड़ी ही मेरा जीवन है खेती बाड़ी ही नही रहेगी, तो क्या कमायेंगे, क्या खायेंगे। फैक्ट्री वाले हमारे गांव के लोगों को वहां से हटा दे, खेती बाड़ी भी दूसरी जगह कर दे और फैक्ट्री लगा ले।

23. श्री भागीरथी सतनाम, ग्राम–टिकैत पेण्ड्री :–

मेरी टिकैत पेण्ड्री खार में 3.90 एकड़ जमीन है। जो राधा माधव प्लांट से लगा हुआ है। आने जाने का रास्ता नही है कैसे खेती करेंगें। राधा माधव फैक्ट्री बंद किया जाये। हम लोगों को आने जाने का रास्ता दिया जाये।

24. श्री श्यामजी वर्मा, ग्राम–रामबोड़ :–

हमारे गांव में प्लांट नहीं लगना चाहिए। क्यों कि वहां पूरे गांव के निवासियों का मुख्य कार्य कृषि है। प्लांट लगने से फसलों को नुकसान होगा। पूरे जमीन में प्रदूषण फैलेगा। आस पास कई गांव है जो पूरे गांव कृषि वाले हैं। हमारे आस पास के गांव में जो प्लांट लगा है प्लांट को नहीं रहना चाहिए। चालू नही होना चाहिए हम आपत्ति करने आये हैं। यह बंद होना चाहिए यदि आप हमारी सुनवाई नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा।

25. श्री गंवतरिहा धृतलहरे, ग्राम–टिकैत पेण्ड्री :–

यहां राधा माधव फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए। किसानी करने के लिए वहां जा नहीं सकते, रास्ता बंद है और वहां अस्पताल भी नहीं है। वायु प्रदूषण होने के कारण हम कृषि कार्य नहीं कर पायेंगे।

26. श्री शिव कुमार शर्मा, ग्राम–रामबोड :–

हमारे गांव रामबोड में राधा माधव फैक्ट्री लगाया जा रहा है। प्लांट गौचर भूमि में लगाया गया है। ये कानूनन अपराध है गांव के बिना अनुमति के लगाया जा रहा है। इसमें हम गांव वाले कोई सहमत नहीं है। ये फैक्ट्री बंद होनी चाहिए।

27. श्री लोचन प्रसाद दुबे, ग्राम–रामबोड :–

हमारे ग्राम में जो राधा माधव फैक्ट्री है। इसमे ज्यादा डस्ट प्रदूषण होगा और वहां जितने भी खेतीबाडी है, वो सब चौपट हो जायेगा। यहां तक की अभी जो सीमेंट फैक्ट्री है। उसका डस्ट गांव के तालाब है वहां तक वायु प्रदूषण का प्रभाव होता है। और ये प्लांट चालू हो जाने से आम आदमी का जीना दुर्भर हो जायेगा। 52 एकड जमीन को कब्जा किये बैठे है। ये कहां का न्याय है। फिर कोई प्रमाणित नहीं है फर्जी–फर्जी दस्तावेज ला करके फैक्ट्री चालू कर रहे है। तो गांव के आदमी का क्या हाल होगा। वहां आदमी मरेगा कि जीयेगा। जब हाईकोर्ट में फैक्ट्री से धुएं के कारण उसको भगाया गया है। आपसे निवेदन है कि फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। अगर फैक्ट्री बंद नहीं होगी तो सुनवाई किस काम की।

28. श्री शिव कुमार लोधी, ग्राम–रामबोड :–

जो राधा माधव फैक्ट्री बन रही है। उससे हम जनता को नुकसान है, जानवरो को भी बहुत नुकसान है। फैक्ट्री नहीं बनना चाहिए। अगर रामबोड में फैक्ट्री लगाते है तो हम लोगों को दूसरे जगह (विस्थापित) किया जावें।

29. श्री चोलाराम साहू, ग्राम–रामबोड :–

राधा माधव स्पंज प्लांट नहीं बनना चाहिए।

30. श्री गुलाल, ग्राम–रामबोर्ड :–

रामबोड में हमारे गाय बैल जानवरो के लिए चारागाह की जगह नहीं है। फैक्ट्री खुल गये है, पावर प्लांट खुल गये है, चारागाह की कोई व्यवस्था नहीं है। इस कारण प्लांट नहीं खुलना चाहिए।

31. श्री लालजी कौशिक, ग्राम–रामबोड :–
हमारे गांव में प्लांट नहीं लगना चाहिए। वायु प्रदूषण से हमारे गांव को बहुत नुकसान होगा।

32. श्री अजीतराम लोधी, ग्राम–रामबोड :–
हमारे गांव में फैक्ट्री नही खुलना चाहिए। फसलें नहीं हो रही है इसलिए फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

33. श्री अगनूराम, ग्राम–रामबोड :–
फैक्ट्री नहीं बनाना चाहिए।

34. श्री डोमनसिंह ध्रुव, ग्राम–रामबोड :–
इस फैक्ट्री से वायु प्रदूषण होगा। खेतीबाडी में नुकसान होगा इसलिए हम शासन से चाहते है कि हमारे लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई जाये।

35. श्री धीरंता कुर्मी, ग्राम–रामबोड :–
खेती बाडी में बहुत नुकसान है संयंत्र में वायु प्रदूषण होने से खेती बाडी नही हो पाती है। बहुत परेशानी होगी।

36. श्री गोविंद राम, ग्राम–रामबोड :–
फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए। खेती बाडी में नुकसान होगा।

37. श्री नारायण प्रसाद गोड, ग्राम–रामबोड :–
रामबोड में मेरा न तो जमीन है न खेती है न बाडी है दूसरे की मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ इनको जमीन किसने दिया है। और ये राधा माधव को हमारे गांव में प्लांट लगा रहा है। उसमें हमें आपत्ति है, प्लांट नहीं लगना चाहिए। जो कि हमारे गांव में कई प्रकार की जीव जन्तु, पशु–पक्षी प्रजाति है। सब के लिए हमें चारा भी हमे किसान को उत्पादन करना है। हम किसान खेती करेंगे। तभी हर प्राणी हर जीव का विकास होगा।

38. श्री गोहित गोड, ग्राम–रामबोड :–
ग्राम–रामबोड में फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। फैक्ट्री के पास मेरी जमीन है और जाने का रास्ता नहीं है। तालाब से हमारे गांव का निस्तार होता है। फैक्ट्री खुलने से तालाब का पानी प्रदूषित हो जायेगा। फैक्ट्री खुलने से हमे पानी कहां से मिलेगा?

39. श्री अशोकपाल, ग्राम–रामबोड :–
राधा माधव फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए। वायु प्रदूषण के कारण तकलीफ होगी। अतएव फैक्ट्री नहीं लगना चाहिए।

40. श्री परसराम शर्मा, ग्राम–रामबोड :–

ग्राम–रामबोड में जब राधा माधव फैक्ट्री आई तो ग्राम पंचायत को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। ग्राम पंचायत को इन्होने विश्वास में नहीं लिया। और पंचायत से सलाह भी नहीं ली गई। हमारे जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर लिया। हमको गांव वालो को किसी को पता नहीं है। किस आधार पर इन्होने एन. ओ. सी. ली है। किस आधार पर यह प्रमाण पत्र लिया हैं। आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि और देखिये उनकी बात में कहां तक सच्चाई है और कहां तक झूठी है। निवेदन है कि आप राधा माधव पावर इंडस्ट्रीज की जगह जब हमको वहां से माननीय हाई कोर्ट का आदेश दिया हुआ है। रामबोड में क्या आदमी नहीं रहते, वहा क्या जानवर रहते हैं क्या? दूसरी बात यह है कि जनसुनवाई यहां क्यों रखी गई है 30 कि. मी. दूरी पर है। रामबोड की समस्या है रामबोड की जमीन है जनसुनवाई रामबोड में ही रखी जानी थी। इतना दूर रखकर हम लोगों को परेशान करने का क्या मतलब है? मै चाहता हूँ कि आप लोग जरूर एक्शन लीजिए और ये प्लांट यहां नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात जब यह प्लांट लगा रहा है वो डेट निकलने के बाद हमारे यहां जो कागज आया है उसमें मैने आपत्ति किया है कि मेरे यहां पावर प्लांट नहीं लगना चाहिए।

41. श्री प्रमोद कुमार साहू, ग्राम–रामबोड :–

राधा माधव यहां निमार्णाधीन है रामबोड में लेकिन वाकई में हमारे साथी ने बताया है कि इनके कार्यपालिक सार में रायपुर की कम्पनी से सर्वे कराकर जो नदी है उसकी दूरी 01 कि.मी. बताया गया है। जो 01 कि.मी. की दूरी नहीं बल्कि 400 मीटर है। हमारे यहां खेती करने की समस्या है निर्माणाधीन प्लांट के पास हम लोगों की खेती है। उसमें आने जाने से प्लांट के कर्मचारियों द्वारा मना किया जाता है। विगत तीन साल से वहां पर खेती नहीं कर पा रहे हैं। पीछे में भी किसानों की 7 एकड़ का जमीन जिसमें आने जाने में असुविधा होती है और रास्ता मांगने पर सरकार के पास जाईए ऐसा कहते हैं और उस रास्ते के अलावा किसानों के आने जाने के लिए कोई रास्ता नही है। ग्राम–रामबोड ऐसे भी संवेदनशील है। पानी की अभाव एवं पानी का समस्या लगातार फैक्ट्रीयों के आने से प्रदूषण हो रहा हैं। चराई भूमि का भी अभाव है। इस फैक्ट्री के निर्माण होने से रामबोड़ के चराई भूमि/गौचर भूमि की कमी हो जायेगी। पशुओं के लिए चारे का अभाव होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पूरे स्टेट के चीफ सेकेटरीयों को आर्डर जारी किये गये हैं कि ऐसे घास भूमि या छोटे झाड़ के जंगलों को आबंटित न किया जाये।

42. श्री कैलाश सिंह ठाकुर, ग्राम–पेण्ड्री. :–

विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ कि राधा माधव स्पंज आयरन के खिलाफ इस फैक्ट्री की जगह में पहले छोटे–बड़े झाड़ का जंगल हुआ करता था। जिसे न ग्राम पंचायत के एन.ओ.सी. के बिना उस जंगल को जेसीबी के द्वारा उजाड़ दिया गया । और ग्राम के मजदूरों को बुलाकर उनसे दबावपूर्वक दादागिरी के साथ दुर्व्यवहारपूर्वक काम करवाया जाता है। उसके बगल में एक पॉवर प्लांट लगा हुआ है। उसके बनने के बाद उस जंगल में खरगोश और लोमड़ी बहुत मात्रा में पाये जाते थे। आज जंगल नहीं रहने के बाद अगल बगल में भी आवाज की प्रदूषण से काई खरगोश, कोई लोमड़ी आपको देखने मे नहीं मिलेगा। इस फैक्ट्री के लिए जो इन्होने ग्राम पंचायत टिकैट पेण्ड्री को जो जानकरी दी है।

उसमें कई बात झूठे पाये गये है जैसे कम्पनी को विधिवत अनुमति हो गई है। सिर्फ एन. ओ.सी. की जरूरत है। और इनका काम चालू होने का है। जनसुनवाई जिस जगह में स्थापित है। प्लांट जिस जगह में स्थापित है वहां जनसुनवाई होनी थी। आज अधिकतर ग्राम के सभी नागरिक इस पथरिया में नहीं पहुच पाये है। चूंकि आज हमारे छत्तीसगढ़ में पोला का त्यौहार मनाया जाता है। सभी ग्राम के जो बुजुर्ग हैं वो अपने घर में बैल का पूजा करते हैं। इस लिए आज इस जनसुनवाई में आपको कोई ग्रामीण नही दिख रहे है। इसलिए मैं इस जनसुनवाई का विरोध करता हूँ इस जनसुनवाई को रामबोड में होना था। और आज के त्यौहार के दिन नहीं होना था। जनसुनवाई की तिथि के बारे में खैर ये पहले से हमको बता दिये गये थे। चूंकि आज त्यौहार है इसलिए कोई नहीं आ पाया है। नदी को 01 कि.मी. की दायरे बाहर बताया गया है। चूंकि नदी इनके प्लांट से मात्र 300 मीटर की दूरी पर होगी। इसको आप जांच करवाईये उसके बाद सच्चाई सामने आ जायेगी। एनीकट की दूरी मात्र 01 कि.मी. की होगी इनके प्लांट से । हाई कोर्ट के द्वारा बोदरी से या छतौना से इनको हटाया गया और इस फैक्ट्री को रामबोड में स्थापित किया गया है। रामबोड के बीच होने के कारण यह फैक्ट्री ग्राम पंचायत टिकैटपेण्ड्री, मोहदी, अटरी, खम्हारडीह, भखुरी, धमनी, रामबोड अण्डा और लकउकापा को प्रदूषण के दायरे में लेगी चूंकि यह सभी गांव के बीच में है। ये सब गांव के नागरिक प्रदूषित होंगे। सभी गांव का निस्तार नदी से जुड़ हुआ है। ग्राम–मोहदी का खार फैक्ट्री के किनारे लगा हुआ है। जमीन जो किसानो की थी। वो जहां से फैक्ट्री लगी हुई है। किसानों का रास्ता वहीं से था। रामबोड के लोगों के जानवरों धोने का पानी पिलाने का नदी का रास्ता वही था। मोहदी के किसानों के लिए नागर, ट्रेक्टर बैला भैंसा ले जाने का रास्ता वहीं था। प्लांट बनने के बाद वह रास्ता बंद हो गया है। आज कृषकों के सामने वहां बैला–भैंसा या ट्रैक्टर ले जाने की समस्या खड़ी हो गयी है। आज आप वहां चल के देख सकते है। किसी भी किसान का खेत में कोई फसल नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ एक ही कारण है वहां या तो नागर नहीं जा सकता और ट्रैक्टर नहीं जा सकता । इसलिए सभी किसानों का खेत आज पड़ती स्थिति में है। कि पुरातत्व स्थल इस फैक्ट्री के नजदीक में नहीं है आपको सबको मालूम है कि ताला की दूरी अगर एयर से देखेंगे तो फैक्ट्री से मुश्किल से 4 कि. मी. की होगी। और ऐसे देखेंगे तो 6 कि.मी. की दूरी से ताला की दूरी है। उपरोक्त प्रस्तावित जगह पर जस्ट सामने 50 मीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रामबोड़ है उसके नाम से भी मैं आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। कि वहां डाक्टरों मरीजों को उस प्लांट के कारण प्रदूषण के कारण ध्वनि प्रदूषण से भी, वायु प्रदूषण से भी सबको तकलीफ होगी। मात्र 50 मीटर उस गेट के सामने ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है। मेरे ख्याल से मेरे ग्राम पंचायत के सरपंचों और पंच के तरफ से यही कहना चाहता हुँ कि वह प्लांट वहां स्थापित न हों। यह कहीं अन्यंत्र अपना अपने चलें जायें वहां स्थापित यह प्लांट न हो। मैं अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूँ।

43. <u>श्री प्रवीण शर्मा, ग्राम–रामबोड</u> :–

उपरोक्त विषयांकित राधा माधव इंडस्ट्री बिलासपुर के स्थानान्तरण के संबंध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपत्ति दर्ज कराते है :–

1. कम्पनी को विधिवत अनुमति नहीं मिली है। उसके पश्चात भी कम्पनी द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य पूर्ण करा लिये है।
2. जन सुनवाई ग्राम–रामबोड में या नजदीक ग्राम मे न कर 25 कि.मी. दूर पथरिया में आयोजित करना ग्रामीणों को वहां पहुचने से वंचित करने के लिए

सुनियोजित षड़यंत्र की ओर प्रदर्शित करता है एवं नियम विरूद्ध है। यह जन सुनवाई उक्त फैक्ट्री के निर्माण के पूर्व होना चाहिए था।

3. जन सुनवाई की तिथि के बारे में एवं कम्पनी के उक्त निर्माण कार्य के संबंध में विस्तुत जानकारी ग्रामीणों को देना था। किन्तु कम्पनी द्वारा इस नियम का भी पालन नही किया गया। अतः जन सुनवाई निरस्त करते हुए पुनः रामबोड में आयोजित की जाये।
4. कम्पनी द्वारा नदी से एवं ट्यूबवेल से पानी लिया जायेगा जिससे किसानों को सिंचाई एवं मवेशियों को पीने के लिए पानी की विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी एवं जल स्तर एकदम नीचे चला जायेगा।
5. माननीय हाई कोर्ट ने प्रदूषण फैलाने के कारण स्थानान्तरण के निर्देश दिये किन्तु वही प्रदूषित करने वाली फैक्ट्री की अनुमति हमारे यहां क्यों?
6. फैक्ट्री के नजदीक ऐतिहासिक राज्य संरक्षित पुरातत्व स्थल पर ग्राम ताला 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। जिसकी जानकारी कम्पनी द्वारा नहीं दी गई है?
7. कम्पनी द्वारा कितने स्थानीय मजदूरों को किस–किस पद में रखा जायेगा इसकी स्पष्ट जानकारी नही दी गई है स्पष्ट करें?
8. ग्रामवासियों को आम निस्तारी चारागाह एवं शासन के विभिन्न निर्माण कार्य करने के लिये पर्याप्त भूमि का रकबा भी कम हो जायेगा जिससे असुविधा होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं पर इस फैक्ट्री के स्थापना का विरोध करते है। तथा निवेदन करते है कि उक्त फैक्ट्री हमारे ग्राम में न स्थापित हो।

44. <u>श्री केशव लहरे, ग्राम–डोड़की</u> :–

आज की राधा माधव स्पंज आयरन के जन सुनवाई के संबंध में मै अपना विरोध दर्ज कराते हुए मै कहना चाहता हूँ कि – आज की जन सुनवाई स्थान पथरिया चूंकि स्थल ग्राम–रामबोड से लगभग 15 कि.मी. दूरी है। यहां पर इस दूरी को जानते हुए सुनवाई का आयोजन करना किसी षड़यंत्र से बाहर नहीं है। चूकि किसी भी अनजान फैक्ट्री के संबंध मे संबंधित स्थान पर ही जन सुनवाई किये जाने का विधिक प्रावधान है, जिसका उल्लंघन हो रहा है। ऐसी स्थिति मुझे यही कहते हुए जरा भी अफसोस नहीं है। हमारे प्रशासनिक अधिकारी, आई एस अधिकारी कलेक्टर साहब को इसका अनुमति नहीं देनी चाहिए। इस संबंध मे ग्रामवासियों की आवाज है कि यह जनसुनवाई ग्राम–रामबोड में होना चाहिए था। इस संबंध में अधिग्रहण अथवा फैक्ट्री लगाने से संबंधित पुरानी जानकारी से मैं अवगत कराना चाहुंगा यहां उपस्थित सभी को 29 अप्रैल 2005 को छत्तीसगढ़ शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधित सूचना प्रकाशन कराई गई थी। जिसके विरोध में राज्य शासन से लेकर राष्ट्रपति तक ग्रामवासियों द्वारा पत्र व्यवहार करने के कारण उक्त अधिग्रहण कार्य को राज्य शासन को स्थगित कर दी गई है। जिसकी क्षेत्र व्यवस्था मस्तूरी विधान सभा से आठ गांव तखतपुर विधानसभा से लगभग 100 गांव बिल्हा विधानसभा से बिल्हा–पथरिया से लगभग 250 ग्राम गांव जिसमें बॉडर एरिया में खडे है। पेण्ड्री काठाकोनी का आखरी एरिया है। जो इस बीच के एरिया में आपका गांव आता है। जो कि अधिग्रहण क्षेत्र के बीच में है। और 12–12 विधानसभा से लगभग 150 गांव ये सभी गांव समाहित है। ऐसी स्थिति में चूंकि भू–राजस्व सहिता के व्यवस्था अनुसार विवादित संपत्ति पर ऐसी किसी भी प्रकार का अपराध की लोक सुनवाई नहीं हो सकता। जब तक का विवाद का निराकरण नहीं हो जाती ऐसी स्थिति में आज की जन सुनवाई पूर्णता विधि

विरूद्व है दिनांक 30.07.2010 को प्रकाशित सूचना के अनुसार प्रदेश में नये उद्योग नही लगाया जा सकता। इसलिए भी ये उद्योग अपने आप में नियम विरूद्व स्थापना की ओर है। इसलिए ग्राम–रामबोड में अनुमति न दिया जाये। इस क्षेत्र की भूमि अधिग्रहण के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति की ओर प्रेषित पत्र के आधार पर राजपाल छ0ग0 द्वारा दिनांक 29.07.2011 को छ0ग0 राज्य शासन को जनहित को ध्यान में रखते हुए किसी भी प्रकार की भूमि अधिग्रहण फैक्ट्री के लिए नहीं करने के लिए आदेशित किया जा चुका है। इन बिन्दुओं के आधार पर निवेदन करना चाहता हूँ कि राधा माधव स्पंज आयरन को स्थापित करने के लिए पर्यावरण विभाग से अनुमति न दिया जाये।

45. <u>श्री आशुतोष पाण्डेय, रामबोड निर्वाचित जन प्रतिनिधि, जनपद सदस्य</u> :–

आज के इस जन सुनवाई कार्यक्रम का मै कड़े शब्दो मे पुरजोर विरोध करना चाहूंगा। कि मेसर्स राधा माधव इण्ड. प्रा0 लि0 जिसकी स्थानांतरण हाईकोर्ट और राज्य शासन के निर्देश से हमारे ग्राम रामबोड में की जा रही है। मै यह जानना चाहूंगा कि आप अपनी बीमारी को हमारे तरफ क्यों भेज रहे है। यहां हमारे बोदरी के निर्वाचित अध्यक्ष श्री कौशिक जी भी उपस्थित है और उस अंचल के लोगो से इस फैक्ट्री की पीड़ा हमने सुनी है और अनुभव किया है कि फैक्ट्री के कारण वहां के लोगों को पर्यावरण एवं कई परेशानियों का सामना करना पडता था लोग त्रस्त हो चुके थे। और बार–बार शासन से निवेदन करते थे कि ये फैक्ट्री को बंद कर दिया जाये। कुछ बिन्दुओ पर मै ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा :–

1. ये जन सुनवाई जो यहां पर पथरिया में 22–25 कि0मी0 दूर मे आयोजित की गई है। यह सुनियोजित प्रशासन एवं फैक्ट्री मालिको का षडयंत्र है, जिसके कारण ये दूरी में और आज पोला का त्योहार मे आयोजित की गई है। गांव में लोग पोला त्योहार मनाते है, जिसके कारण इस जनसुनवाई में लोग उपस्थित न हो सके और निर्विवाद के रूप से अपना काम पूरा कर सके।

2. तकनीकी बिन्दु यह है कि कोई भी फैक्ट्री की स्थापना होती है। जहां तक मुझे जानकारी है शासन को आवेदन जाता है, उसके 45 दिन के अंदर जन सुनवाई करना अनिवार्य है। जन सुनवाई में उसका पालन नहीं किया जा रहा है। यह भी नियम विरूद्व है। कोई भी जन सुनवाई होती है उसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाता है। शासन के द्वारा और संबंधित फैक्ट्री के द्वारा संबंधित प्रभावित क्षेत्र के लोगो को उसके प्रभाव के बारे में योजनाओ के बारे में आप क्या करना चाहते है। इस बारे मे जानकारी नहीं दी गई है। इससे होने वाले प्रदूषण के बारे में जानकारियां दी जात है। गांव के पंचायत को इक्ट्ठा करके विधिवत बताने जाने का नियम हैं, जबकि ऐसा नहीं किया गया है। 30 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए मुनादी किया जाना चाहिए। मुनादी भी नहीं की गई। इसमे तकनीक की बात अपन करें, तो माननीय हाईकोर्ट, गुजरात का निर्देश है कि 45 के अंदर लोक सुनवाई करना जरूरी है।

3. कंपनी द्वारा कोयला आधारित फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। छोटे संयंत्रों में 100 टी.पी.डी. का कही भी सक्सेज नहीं है। उसमें बहुत ज्यादा सल्फर और

क्लोराईड का और विभिन्न प्रकार के रसायनिक जैविक पदार्थ है जो मानव जीवन को और पर्यावरण को नुकसान पहुचांते है ऐसे पदार्थो का उत्सर्जन होता है उसे पूरे विश्व में नकार दिया गया है। 97 परसेंट जो फैक्ट्रियां है वो गैस से आधारित होती है। जो कोयला आधारित नहीं होती है। इससे बहुत भारी मात्रा में जहरीली गैस का उत्सर्जन होगा। यह जो फैक्ट्री राधा माधव इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, जो है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय–समय पर फैक्ट्रियों की जांच करते है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 2007 में जब फैक्ट्री वहां थी। तो प्रदूषण के विभिन्न नियमों का गलत दुरूपयोग एवं पालन नहीं करने का दोषी इनको पाया गया था। उसके बाद भी यह फैक्ट्री नोटिस देने के बाद भी चल रही है।

4. तीसरी यह 2008 –2009 में प्रदूषण कम करने वाली जो मशीन लगाते है। शासन का पर्यावरण बोर्ड में सख्त निर्देश हो गया कि आप प्रदूषण कम करो। ईएसपी जो मशीन लगती है। वह मशीन 2008–2009 में जांच हुआ वह मशीन विगत कई महीनों से बंद पाई गई। यह इस फैक्ट्री के आ जाने के बाद मै यह बता रहा हूँ। इतना सब नियम कानून का पालन नहीं किये जाने के बावजूद भी अब यह फैक्ट्री बोलती है कि हम रामबोड में पालन करेंगे। हम कैसे विश्वास करें। सबसे बडी बात यह है कि फैक्ट्री के लिए आप आवेदन दिये, अब स्थापना लेने के लिए एनओसी लेने के लिए यहां पर आये है। लेकिन आप सभी लोगो को बताना चाहूंगा कि मेरे पास फोटो है ये फोटो ग्राफ्स में राधा माधव इण्डस्ट्रीज खुल चुकी है। वहां फैक्ट्री लग चुकी है। पूरा इनका कंस्ट्रक्शन वर्क्स हो चुका है प्लांट लग चुका है। चिमनी खडी हो गई है। ये पूरा स्ट्रक्चर है पूरा फैक्ट्री का, ये पूरा फैक्ट्री खडा हो चुका है। ये यहां आवेदन कर रहे है और एनओसी लेने आये है। कि फैक्ट्री खोले की न खोले। आप ने तो दादागिरी करके फैक्ट्री वहां खोल ली, अब क्यों जनता के पास आये है। पर्यावरण विभाग को दिये इन्होने अपने कागज लिखा है कि 15 कि0मी0 के अंतर्गत् कोई ऐसा क्षेत्र नहीं हो जिसमें आपत्ति हो। तो महोदय मै आपको जानकारी देना चाहूंगा कि वहां से एयर डिस्टेंश 10–12 किमी0 पर होईकोई है। 10 से 12 किमी0 पर चकरभाटा एयरपोर्ट है। जहां पर भारतीय सेना का बहुत बडा कैम्प लगने वाला है। सैनिक प्रशिक्षण अभ्यास वगैरह सारे होंगे जिसके लिए भारत सरकार व राज्य सरकार ने सैकडो एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है। काम चालू हो रहा है। इसकी भी जानकारी इसमें नहीं दी गई है। तीसरी बात वहां पर राज्य स्मारक विश्व प्रसिद्ध ताला गांव है उसकी भी डिस्टेंश 5–6 कि.मी. एयर डिस्टेंश है। उसकी भी जानकारी उस दस्तावेज मे नहीं दी गई है। उसमें यह लिखा है कि 15 कि.मी. की रेडियस में कोई प्रदूषित करने वाली कोई भी यह फैक्ट्री नहीं है। हम त्रस्त हो चुके हैं नोवा स्पंज आयरन से हम त्रस्त हो चुके हैं भाटिया वाईन मर्चेन्ट के दारू के गन्ध से ये फैक्ट्रीयां इनको नहीं दिखती है। प्रशासन दस्तखत करके डीपीआर को जारी कर देता है। हम इसका पूरजोर विरोध करते है। यह शासन को गुमराह कर रहा है और जनता को भी गुमराह कर रहा है दोनो को गुमराह करके ये 3–4 साल से फैक्ट्री बंद है इनकी रिकार्ड में चालू है। लाखों टन इन्होने एस.ई.सी.एल. से और अन्य सरकारी विभाग से सबसिडी करोड़ो लाखों रूपये का घोटाला इन्होनें इनके संचालकों ने कर लिया और अभी वो फरार हैं उनके खिलाफ सी.बी.आई. जांच चल रही है। तो ऐसे संचालको द्वारा खड़ा किया गया यह संयंत्र कैसा होगा इसकी

कल्पना हम कर सकते हैं। इनका आचरण कैसा है इनके बारे में भी मैने बता दिया। 13-
इन्होनें 100 लोगों को रोजगार देने की बात कही है। 100 लोगों मे फैक्ट्री में कौन मुनसी रहेगा, कौन मैनेजर रहेगा, कौन इंजीनियर रहेगा कौन, कौन फर्स साफ करेगा। ये जानकारी हमको उपलब्ध करा दें कि कौन किस पोस्ट में रहेगा और उसमें हमारे रामबोड पथरिया ब्लाक के आस पास के और हमारे छत्तीसगढ़ के कितने आदमी रहेंगे। मै नोवा फैक्ट्री जाता हूँ तो वहां घुसने भी नही दिया जाता है। मै जन प्रतिनिधि हूँ। वहां पता कर लीजिए 80 से 85 परसेंट लोग बाहर के लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब के लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़िया लोग को बिल्कुल वहां काम नहीं दिया जाता । काम दिया जाय है तो खलासी का ट्रक मे लोडिंग अनलोडिंग का काम करों यही काम छत्तीसगढ़िया लोगों को दिया जा रहा है। रायगढ़ के फैक्ट्री का उदाहरण दूं अभी पेपर पढ़ा तो वहां भी 10 परसेंट छत्तीसगढ़िया लोग चाहे अम्बिकापुर के हो, बस्तर के हो एवं बिलासपुर के हो। 10 परसेंट लोगों को वहां पर काम मिल रहा है। ऐसा बोझा क्यों उठायें जहां 10 को काम मिल रहा है। बल्कि हमको बोनस में ये बीमारी मिल रहा है। मै इस फैक्ट्री के खुलने का पर्यावरण इन्वायरमेंट क्लीयरेंस का पूरजोर विरोध करता हूँ।

46 श्री विनोद कुमार शर्मा, ग्राम–रामबोड :–

हमारे ग्राम रामबोड़ में जो राधा माधव इंडस्ट्री खुल रही है। इसके विरोध में आपत्तियां दर्ज कराना चाहता हूँ। चूकि ये पर्यावरण स्वीकृति हेतु यहां लोकसुनवाई हो रही है, और हमारे क्षेत्र के आम नागरिक और जनप्रतिनिधि इसके विरोध में अपनी बात रखे हैं उसके बावजूद भी स्वीकृति मिलती है, तो मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि पूरजोर ढंग से हमारे क्षेत्र में विरोध होगा और उग्र आन्दोलन भी हो सकता है। अगर इसको पर्यावरण स्वीकृति मिलती है। चूंकि हमारे क्षेत्र के कोई भी व्यक्ति इसके पक्ष में नहीं है। अतः ये स्पंज आयरन उद्योग स्थापित हो रही है। ये नहीं होनी चाहिए।

47. श्री रिखीराम वर्मा, ग्राम–रामबोड :–

राधा माधव प्लांट ग्राम–रामबोड में नहीं बनना चाहिए। इससे हम लोगों के लिए बहुत हानिकारक होगा। हमारे मवेशी के लिए एक भी चारागाह नहीं है। मेरे हिसाब से ये प्लांट नही बनना चाहिए।

48. श्री नवीन शर्मा, ग्राम–रामबोड :–

मेरा मुख्य कार्य खेती है। राधा माधव फैक्ट्री के बिल्कुल पीछे मेरा 3 एकड़ जमीन है, जिसमें मेरा आने जाने का कोई रास्ता नहीं है और 2 साल से पड़ती पड़ा है। कृषि कार्य से ही मेरा घर का खर्चा पानी चलता था वह सब बंद हो गया है। हम फैक्ट्री के पास जाते है तो गेट के बाहर से गाली गलौज किया जाता है। यहां हमे कृषि कार्य करने नहीं देते तो बहरी कार्य क्या देंगे। तो ऐसा फैक्ट्री खोलकर क्या करेंगे। फैक्ट्री में बाहरी लोगों से काम कराकर प्लांट खड़ा कर लिया है वहां इतना असभ्य–असभ्य आदमी आये है जो बिना गाली गलौज के बात नहीं करते। हमको 24 घंटे अपने खेत के पास रहना है तो कितने दिन तक इनका गाली को सुनते रहेंगे। पहले भी हम जी.एम. सर से शिकायत किये थे। तो वे भी असभ्य बात बोल रहे थे। इनके द्वारा हैलोजन लाईट रोड मे लगाया गया है,

जिसके प्रकाश से रात मे रोड पर चलना मुश्किल हो गया है। और हम गिरते गिरते बचते है। हाईलोजन का प्रकाश दूसरे ओर करने के लिए हमने निवेदन किया है। पर छः माह हो गये इनके द्वारा हैलोजन के प्रकाश की दिशा नहीं बदला गया है। हमारे भाई आशुतोष पाण्डेय आदत व्यवहार बता चुके हैं और ज्यादा मै आपसें क्या बताऊ। 13

49. श्री रामू लोधी, ग्राम–रामबोड :–

कृषि के आधार पर जीवन यापन कर रहा हूँ कृषि भूमि मेरे पास नहीं है अधिया के भरोसे जीवित हूँ वही पर राधा माधव प्लांट से लगा हुआ है। खेती करता हूँ वहां प्रदूषण फैल रहा है। ये राधा माधव फैक्ट्री बंद होना चाहिए। विरोध करता हूँ।

50. श्री भुवनेश्वर गिरी, ग्राम–मोतीनपुर :–

खेती कार्य मेरा पेशा है और सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि किसानों का अस्तित्व खतरे में है इसे समझने की कोशिश करें। हमारे लिये जल, जंगल और जमीन तीनों जरूरी है। अगर तीनों प्रदूषित है तो फिर हम लोग का जीना तो दूभर है। इसलिये यह ध्यान में रखतें हुए इस स्पंज आयरन को वहां पर अनुमति न दिया जाये। इसलिए मै विरोध करता हूँ।

51. श्री जगदीश कौशिक, ग्राम–बोदरी :–

यह प्लांट मेसर्स राधा माधव इंडस्ट्रीज प्रा. लि. का आज जो लोक सुनवाई है रामबोड़ ग्राम और पथरिया ब्लॉक में उनके स्थानान्तरण के और पुर्नस्थापन को लेकर तो मैं इस लोक सुनवाई में इस उद्योग के वहां पर लगने का विरोध दर्ज कराने आया हूँ। मेरा विरोध दर्ज करने की कृपा करें। इस तरह के जो उद्योग हमारे प्रदेश में लग रहे हैं। इससे हमको, जितना हमारे नागरिकों को मुनाफा होना चाहिए या जितना लाभ मिलना चाहिए तो देखने मे आया है कि आजादी के बाद से लेकर आज तक केवल आम लोगों की बरबादी हुई है उनका कोई विकास नहीं हुआ है। अगर राधा माधव इंडस्ट्रीज शासन के द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अधीन वहां पर स्थापित था। नगर पंचायत–बोदरी और ग्राम–छतौना से उसको हटाने का कोई औचित्य नहीं होता। अगर वह शासकीय मापदण्डों को पूरा करता है तो चाहे वहां पर हाई कोर्ट स्थापित हो जाये या सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो जाये। अगर वह पॉल्यूशन के सब्जैक्ट पर एयर पॉल्यूशन के सब्जैक्ट पर या साउंड पॉल्यूशन के सब्जैक्ट पर अगर वह सही रूप से वहां पर कार्यरत रहा होता तो वहां हाई कोर्ट स्थापना के मददेनजर स्थानान्तरित करने का आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया होता। और सरकार के द्वारा हाईकोर्ट के स्थापना के दौरान राधा माधव इंडस्ट्रीज को वहां से जब हटाया गया तो यह स्पष्ट सबूत है स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है। राधा माधव इंडस्ट्रीज उस क्षेत्र में गंभीर रूप से प्रदूषण पैदा कर रहा था और इसलिए हाईकोर्ट की स्थापना के मददेनजर वहां से उसे हटाया गया। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि जो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इसे एक जगह से स्थानान्तरित करता है कि हाईकोर्ट स्थापित हो गया है वहां के लिए अनुकूल फैक्ट्री नहीं है। तो वो बोदरी और ग्राम–छतौना का जो बर्बादी है उसे ग्राम–रामबोड के लोगों को क्यों परोसा जा रहा है। जो वहां के कृषिको के लिए बर्बादी है। मैने अपनी आंखों से देखा है। मेरा वहां पर खुद का खेत है। उसमें फसल इतनी बर्बाद हो गई कि ठीक से हम फसल भी नहीं ले पाते थें। वहां अंडरग्राउंड वाटर की बात करेंगे भूमिगत जल की बात करेंगे इतना तेजी से दोहन किया जाता था। राधा माधव इंडस्ट्रीज के द्वारा नगर पंचायत बोदरी और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल की गंभीर समस्या पैदा हो गई थी। और वही समस्या को ग्राम–रामबोड में बोया जा रहा है। जिस

पर्यावरण स्वीकृति के लिए यहां पे लोक सुनवाई की जा रही है। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि राधा माधव इंडस्ट्रीज के द्वारा ग्राम–रामबोड में फैक्ट्री लगाई जा चुकी है। अधिकारियों के नुमाईंदे को ये देखना चाहिए बिना पूर्व स्वीकृति के बिना ग्राम पंचायत के एन ओ सी के बिना क्षेत्र के लोगो के समक्ष जन सुनवाई के इंडस्ट्री स्थापित कर दी गई है। जो कि सरासर गैर कानूनी है और असंवैधानिक है। इस बात का पूरजोर विरोध करता हूँ कि ऐसे औद्योगिकीकरण के नाम पर जो गुंडागर्दी चल रही है उसे रोका जाये। अगर शासन प्रशासन इसको नहीं रोकेंगे तो मजबूर होकर आम जनता को इस के लिए आन्दोलन करना पडेगा। यहां पर बहुत कम लोग मौजूद हैं क्यों कि जन सनुवाई को छल पूर्वक यहां पर किया जा रहा है। मैं आप लोगों को इस बात के लिए आगाह करता हूँ जिस रामबोड में जन सुनवाई आमंत्रित की जानी चाहिए थी। वहां से 25 कि.मी. दूरी पर यहां ब्लाक मुख्यालय पर आप लोग जन सुनवाई आयोजित कर रहें है यह भी उचित रास्ता नहीं है। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस जन सुनवाई को यहीं पर रद्द की जाये, खारिज किया जाये और यदि न्याय संगत जन सुनवाई करानी है, न्याय संगत व्यवस्था करना है, और आप 16–17 गांव के लोगों के साथ न्याय करना चाहते है तो वहीं पर जन सुनवाई पुनः बुलाई जावें। यहा पे इनके जो डीपीआर आई की डाटा रिपोर्ट है तो बहुत सारी बातें जो इन लोगों ने लिखी है। मैं उस बारे मे भी अपना बात रखना चाहता हूँ कि इसमें कुछ गांव को इसमें लिख दिया गया कि रामबोड, अटर्रा, खम्हारडीह, अण्डा, धमनी और महुदा मैं आप लोगों को बता दूं कि निकटस्थ एयर डिस्टेंश में 17 गांव तात्कालिक और गंभीर रूप से प्रभावित होने वाले गांव है। जिनका नाम यहां पर उल्लेखित नहीं किया गया है। निकटतम जल स्त्रोत के विषय में इन्होने जो लिखा है कि मनियारी नदी यहां से 01 कि.मी. पूर्व में है तो यह स्पष्ट है जल स्त्रोत की जल की मांग की पूर्ति के लिए यह मनियारी नदी के जल का दोहन करेगें। और यदि मनियारी नदी के जल का दोहन करेंगे तो आसपास के 25 गांव के भूमिगत जल का सतह प्रभावित होगा। यहां पर वन्य जीवन अधिनियम के तहत् 1972 जो वंचित क्षेत्र के तहत् कंडिका 13 बताई गई। उसमें लिखा गया है। कि 15 कि.मी. के दायरे में कोई नहीं है। रामबोड और आस पास का क्षेत्र है वह पूर्व से ही छोटे झाड़ के जंगल के रूप में चिन्हांकित है और पूर्व से ही आपके राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उस छोटे झाड़ के जंगल क्षेत्र में बहुत सारे वन्य प्राणी थे। जैसा कि पूर्व वक्ता कैलाश सिंह ठाकुर ने इस बात को बताया कि यहां के बहुत सारे वन्य प्राणी अभी भी मौजूद हैं। फैक्ट्री लगने से विलुप्ती के कगार पर पहुच रहें है और विलुप्त हो जायेंगे। इसलिए जो यहां पर क्लेरीफिकेशन दिया गया कि यहां पर 15 कि.मी. की दायरे में कुछ नहीं यह सरासर झूठ बताया गया है। पारिस्थितिकीय अनुसूचित करने की बात कह रही है। जो ईकोलॉजी की बात ये बोल रहें है कि 15 कि.मी. की दायरे में कोई नहीं है। आश्चर्य है कि मनियारी नदी वहीं पर है। तो क्या इस उद्योग के स्थापना से उस नदी के ईकेलॉजी में पारिस्थितकीय तंत्र में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा या बर्बादी नहीं होगी ? मैं इस बात का प्रबल विरोध करता हूँ कि इसके द्वारा भ्रामक जानकारी बैलाज में दी गई है। रक्षा प्रतिष्ठान के बारे में कहा गया है। तो मैं आप लोगों का अवगत करा दूं कि आप इंटरनेट पर बैठ करके गूगल पर सर्च मारिये और नेट पर देख लीजिए। तो एयर डिस्टेन्स टू रामबोड, नगर पंचायत बोदरी, या चकरभाठा केम्प को देखेंगे तो 10 कि मी. के दायरे में है। और इनका कहना यह है कि 15 कि.मी. के दायरे में कोई रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है। आप सभी प्रबुद्धिजन है। प्रशासनिक अधिकरीगण है। आप सभी को मालूम है कि जो नगर पंचायत बोदरी के निकटतम जो एयरपोर्ट एरिया है। वहां पर रक्षा प्रतिष्ठान खोलने की जो प्रकिया है वह प्रारंभ हो चुकी है। इस लिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस तरह के कोई भी उद्योग इस क्षेत्र में नहीं लगाये जाये। ऐतिहासिक स्थल के बारे में लिखा

गया है कि 15 कि.मी. के दायरे में कोई नहीं है। जबकि एयर डिस्टेंश में यहां से सिर्फ 5 कि.मी. के दायरे में ग्राम ताला है जिसे राज्य सरकार ने भी संरक्षित घोषित किया है। और केन्द्र के सूची में भी पुरातात्विक स्थल के रूप मे वह शामिल हो चुका है। तो मेरा निवेदन है कि इस तरह से जो इस कम्पनी के द्वारा भ्रामक जानकारियां दी गई है। उसके खिलाफ सक्त से सक्त कार्यवाही की जाये और रामबोड में जो प्रस्तावित की जा रही है। मै पर्यावरण के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि इस क्षेत्र की जनता की भावना को समझते हुए वहां पर जितना उद्योग का बोरिया बिस्तर लग चुका है। इंडस्ट्री अपने ताकत और गुंडागर्दी से सेटअप तैयार कर चुके है। उसे उखाड़ कर फेक दे। मेरा निवेदन यही है। और फेकने पर ही रामबोड के आस पास 17 गांवो के लोगों के साथ न्याय हो पायेगा। उन लोगों के साथ न्याय कीजिए अन्याय मत करिये अत्याचार मत करिये। मेरा यही निवेदन है आपसे। इसमें जो इंडस्ट्री का मामला है और जो प्रदूषण का मामला है। इसमें इन लोगों ने इस बात को रखा हैं कि एसपीएम की बात कही जिसमें उत्सर्जन की मात्रा और फ्यूल गैस से सल्फर डाई ऑक्साईड की बात कही है मै आप लोगों को अवगत करा दूं और यहां पर इस बात को दर्ज कराना चाहता हूँ कि कोयला बेस्ड जो इंडस्ट्री है उसमें आपके कार्बन डाईऑक्साईड, कार्बन मोनो ऑक्साईड, सल्फर के बहुत सारे ऑक्साईड इस तरह से बहुत सारे जो प्रदूषणकारक जो रसायन है। वो उत्पन्न होते हैं जिससे पूरे क्षेत्र के हर चींजों में चाहे जल की प्रदूषण की बात करें चाहे मृदा की प्रदूषण की बात करें। ध्वनि की प्रदूषण की बात करें। इन सब का गंभीर रूप से जो प्रभाव पड़ता है। और इस तरह के प्रदूषण और बर्बादी जो रामबोड और आसपास के क्षेत्र के लोगों को भुगतने के लिए यहां पर बुलवाया गया,सुन लो भैया अब आपकी बर्बादी हम लोग शुरू करने जा रहे है। मै निवेदन करता हूँ कि ये बर्बादी आप लोग शुरू न करिये। अन्यथा रामबोड और आसपास के 17–18 गांव के लोग सड़क पर आयेंगे। आन्दोलन करके न्याय मागेंगें। इतने सारे निर्योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए इस लोक सुनवाई में पर्यावरणीय स्वीकृति न दी जाये। और यह जो जन सुनवाई जो गलत तरीके से आहुत की गई है। आप लोगों को भी आरोपित किया गया है। आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि इस तरह से आम जनता, भोले–भाले जनता के साथ छल करना बंद कर दें। और उनके साथ न्याय संगत शासन प्रणाली न्याय संगत राजव्यवस्था कायम करने में आप लोग महती भूमिका निभायें।

52. श्री संतोष साहू, ग्राम–रामबोड :–
गरूआ गाय को परेशानी है। पानी का तकलीफ है। टयूबवेल मे भी प्रभाव पडेगा। 10–20 गांव में पानी का स्त्रोत कम है। सब फैक्ट्री के कारण है। प्रदूषण न फैले रामबोड में, रामबोड में फैक्ट्री नहीं खुलना चाहिए।

53. श्री रूपराम ध्रुव, ग्राम–रामबोड :–
प्लांट नहीं लगना चाहिए।

54. श्री बल्लू राजपूत, ग्राम–रामबोड :–
राधा माधव इंडस्ट्री है वो रामबोड में लगना ही नहीं चाहिए। बहुत ही प्रदूषित प्लांट है।

55. श्री महेन्द्र साहू, ग्राम–रामबोड :–
प्लांट नहीं लगना चाहिए।

अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला–मुंगेली द्वारा जन सामान्य को अवगत कराया गया कि लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनसमूह मे से 09 व्यक्तियों द्वारा लिखित रूप में आपत्ति/सुझाव/विचार दिये गये, जिनकी छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा पावती दी गई है। सम्पूर्ण लोक सुनवाई कार्यक्रम की विडियोग्राफी कराई गई है। लोक सुनवाई के दौरान लगभग 300 जनसामान्य की उपस्थिति रही, जिसमें से 55 व्यक्तियों द्वारा उद्योग स्थापना के संबंध में अपना सुझाव/विचार एवं आपत्तियां व्यक्त की गई। जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय मे से मात्र 44 लोगो द्वारा अपनी उपस्थिति, लोक सुनवाई उपस्थिति पत्रक में दर्ज कराई गई है।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के समापन पर अपर कलेक्टर, मुंगेली द्वारा उपस्थित जन समुदाय को लोक सुनवाई में उपस्थित होने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हुए लोक सुनवाई की कार्यवाही को समाप्त करने की घोषणा की गई।

17/8/12

(बी.एस.ठाकुर)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
बिलासपुर (छ.ग.)

17/8/12

(टी. के. वर्मा)
अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी,
जिला मुंगेली (छ.ग.)